न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 135/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/522

1. सत्यादेवी पुत्री जंगीर सिंह पत्नी चिमनलाल जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं. 18 अनूपगढ़ तहसील व जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरबेअन्त राम पुत्र सन्तराम जाति रामदासिया निवासी रायसिंहनगर हाल 14ए(बी) तहसील व जिला अनूपगढ़
2. चरणजीत राम पुत्र सन्तराम जाति रामदासिया निवासी रायसिंहनगर हाल 14ए(बी) तहसील व जिला अनूपगढ़
3. रामनिरंजन पुत्र सन्तराम जाति रामदासिया निवासी रायसिंहनगर हाल 14ए(बी) तहसील व जिला अनूपगढ़
4. उषारानी उर्फ सोनिया पुत्री सन्तराम जाति रामदासिया निवासी रायसिंहनगर हाल 14ए(बी) तहसील व जिला अनूपगढ़
5. परमजीत कौर पुत्री सन्तराम जाति रामदासिया निवासी रायसिंहनगर हाल 14ए(बी) तहसील व जिला अनूपगढ़
6. स्टेट ऑफ राज. जरिए तहसीलदार(भू.अ.) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हरेन्द्र शेखों, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ता 3 व 5
3. तहसीलदार, अनूपगढ, प्रत्यर्थी सं. 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा चक 14ए तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 23 प.नं. 298/453 कि.नं. 13/2/0.190, 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21/1 से 25/1 प्रत्येक 0.228 कुल 3.101है. कमाण्ड भूमि के संबंध में तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ के आदेश इन्तकाल सं. 397 दिनांक 23.02.2022 विरास्त एवं इन्तकाल सं. 403 दिनांक 10.05.2022 हकत्याग से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
2. मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तगण को सुना गया। प्रकरण में मियाद के बिन्दू पर निर्णय शेष हैं। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया हैं कि आलौच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किये गये हैं, जबकि उक्त भूमि आदेश से एक माह पूर्व इस मुरब्बा में भूमि का बेचान अपीलार्थी को कर दिया गया था, जब बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो भूमि का विरास्तन एवं हक त्याग नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई। अपील इजलास से बिना किसी देरी के अन्दर मियाद पेश की गयी हैं। अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाने [illegible] किया। रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी को इन्तकाल दर्ज करते समय एतराज करना चाहिए था। मियाद अवधि निकलने के बाद अपील पेश करने का कोई आधार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र एवं दस्तावेज छायाप्रति बैयनामा प्रस्तुत किये गये हैं। अतः उक्त के आधार पर अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।
3. उभयपक्षों की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया हैं कि विवादित भूमि रामप्यारी पत्नी सन्तराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रामप्यारी के द्वारा अपनी भूमि में से कि.नं. 13/2 में 0.017है. भूमि अपीलार्थी को जरिए पंजीबद्ध

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:45 IST
Reason: SelfAttested

बैयनामा दिनांक 19.02.2018 को विक्रय कर दी थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर रामप्यारी के नाम की समस्त भूमि का विरास्तन एवं तत्पश्चात हक त्याग के आधार पर रेस्पों. के नाम से अमलदरामद कर दिया गया, जबकि भूमि रामप्यारी के द्वारा पहले ही अपीलार्थी को विक्रय कर दी गयी थी। अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश निरस्त करते हुए बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य आदेश पारित किए गये हैं। अपीलार्थी के द्वारा बैयनामा दिनांक 19.02.2018 के आधार आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। जबकि आलौच्य आदेश वर्ष 2022 में पारित किये गये हैं। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश पारित करते समय एतराज किया जाना चाहिए था। अपील देरी से प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी सद्भावी नहीं है। अपील खारिज करने के लिए निवेदन किया।

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा बैयनामा दिनांक 19.02.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं, जिस अनुसार रामप्यारी द्वारा दिनांक 19.02.2018 को उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष अपनी भूमि में से कि.नं. 13/2 की 0.017है. कमाण्ड भूमि का बैयनामा अपीलार्थी सत्यादेवी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन इन्तकाल सं. 397 सरपंच ग्राम पंचायत 15ए(बी) के द्वारा विरासत आधार पर स्वीकार किया गया हैं। सरपंच ग्राम पचांयत के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं हैं। **अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। पत्रावली में लम्बित अन्य प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किये जाते हैं।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:45 IST
Reason: SelfAttested